प्रेस नोट 09/01/2023

दिनांक 07.01.2023 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्र्तगत हुयी युवक की हत्या मामले में हत्यारोपित 07 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मो0साईकिल व आलाकत्ल (डंडा) बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज/एसओजी/स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 08.01.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/23 धारा 147,302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तों को पश्चिमी फाटक व इन्दारा चट्टी के पास से आठ व्यक्तियों क्रमशः 1. विजय कुमार पुत्र शम्भू नाथ निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ 2. धर्मेन्द्र राजभर पुत्र स्व.राम बचन राजभर निवासी मोहम्मदपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ 3. धीरज सोनकर उर्फ करन सोनकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मझवारा मोड़ थाना घोसी जनपद मऊ 4. शिव कुमार पुत्र प्रभुनाथ चौहान निवासी सरफुपुर थाना घोसी मऊ 5. मनीष चौहान पुत्र अशोक चौहान निवासी सरफुपुर थाना घोसी मऊ 6. प्रदीप राजभर पुत्र अरविन्द राजभर 7. सोनू राजभर पुत्र शैलेन्द्र राजभर 8. (बाल अपचारी) निवासीगण मोहम्मदपुर बनसत्ती थाना कोपागंज जनपद मऊ बताया तथा बारी–बारी रोके गए आठों व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गई तो बिजय कुमार उपरोक्त के पास से एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल विवो कम्पनी ब्लू कलर जिसपर सफेद रंग का कवर लगा हुआ जो स्विच आफ है बरामद हुआ तथा शेष सात व्यक्तियों के पास से कोई शय बरामद नही हुआ तथा पास में खड़ी मोटर साइकिल संख्या यूपी 54 एयू 282 होंडा साइन व यूपी54एजे6211 ग्लैमर के बारे में पूछा गया तो होंडा साइन के बारे प्रदीप कुमार बता रहा है कि साहब यह हमारी मोटर साइकिल है इसी मोटर साइकिल मैं हिमांशु को मारने के लिये लेकर आया था तथा ग्लैमर के बारे में पूछा गया तो शिव कुमार ने बताया कि ये मो0सा0 मेरी है, इस गाड़ी को लेकर घटना के दिन मैं लेकर गया था। पकड़े गये अभियुक्तगण से घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया गया कि दिनांक 07.01.2023 को हम लोग हिमांशु उर्फ बिट्टू सिंह को राजानहुश कोट थाना घोसी से धर्मेन्द्र के कहने पर हम लोग हिमांशु को बुलाकर लाये थे विजय कुमार और धर्मेन्द्र में गहरी दोस्ती है कुछ महीने पहले घोसी में हम सभी लोगो नें एक पार्टी रखी थी जिसमें सब लोग इकट्ठा हुये थे जिसमें हिमांशु भी आया था पार्टी में शराब पीने के बाद विजय और हिमांशु में कुछ गाली गलौच हो गया था जिसको लेकर विजय कुमार के अन्दर हिमांशु के प्रति बदला लेने के भावना बनी हुई थी उसी बात को लेकर दिनांक 07.01.23 को मौका पाकर विजय हम सभी लोगो को इकट्ठा कर योजना बनाकर जान से मार डालने की नियत से हिमांशु को बुलाकर मोहम्मदपुर बनसत्ती रोड के किनारे ले आये जहां पर लाठी डंडा से मार पीट कर मरा हुआ समझकर भाग गये थे बाद में हम लोगो को पता चला कि हिमांशु सिंह उर्फ बिट्टू की मृत्यु हो गयी है और हम लोगो के खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है तब हम लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिये आज ट्रेन पकड़कर दूर चले जाने के लिये एकट्ठा हुये थे पंकज भाड़ा किराया लेकर आने वाला था उसी का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आकर पकड़ लिये गये। तत्पश्चात उक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 148,148,120बी भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।